



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/149/2020- **488**

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री मंजेश कुमार,
पिता-श्री संजय कुमार,
ग्राम-पोस्ट-दुमरिया खुर्द,
थाना-परबत्ता, जिला-खगड़िया,
पिन-851215

पटना 14, दिनांक- **06/07/2023**

विषय- श्री मंजेश कुमार द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत सोढ़ मौजा के खाता संख्या-621, प्लॉट संख्या-2590, थाना-परबत्ता में गोगरी-नारायणपुर बांध/पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01275 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/50277/2020/1215, दिनांक 26.06.2023 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/50277/2020/1215, दिनांक 26.06.2023 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1-6 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित है।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या-A के कंडिका संख्या-1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 388/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 8,65,161/- (आठ लाख पैसठ हजार एक सौ इकसठ रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 388 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग-A के कंडिका संख्या-2 के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल-0.01275 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रु. 9,57,780/- प्रति हे० के दर से कुल रु० 12,212/- (बारह हजार दो सौ बारह रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 8,65,161.00 (+) रु. 12,212.00 अर्थात् कुल रु. 8,77,373.00 (आठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ तिहत्तर रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाइट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-6 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/149/2020- 488

दिनांक 06/07/2023

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय को प्रसंगाधीन पत्र के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 388/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

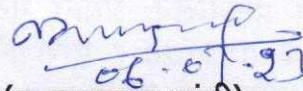
(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/73/2021- 488

दिनांक 06/07/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


06.07.23
(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।